न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.

(अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–244/2026

CNR No. UPSN010007692026

गुलाबधर बिन्द पुत्र स्व परमाल बिन्द, निवासी सरईराजपुतानी, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

...अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियोजन

अपराध संख्या 707 सन् 2022
धारा 135 भा0 विधुत
अधिनियम, थाना एन्टी पावर
थेफ्ट भदोही, जिला भदोही।

09.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबधर बिन्द पुत्र स्व. परमाल बिन्द, निवासी सरईराजपुतानी, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, सम्बंधित अपराध संख्या 707 सन् 2022, धारा 135 भा0 विधुत अधिनियम, थाना एन्टी पावर थेफ्ट भदोही, जिला भदोही, पर सुना।

प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबधर बिन्द द्वारा दरख्वास्त सरेन्डर इस कथन के साथ प्रेषित किया गया की विवेचक ने वादी मुकदमा के नाजायज दबाव व प्रभाव में आकर साजिशन न्यायलय में उपरोक्त आरोप पत्र प्रेषित किया है जो बिलकुल गलत एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी न्यायालय में हाजिर हो रहा है। प्रार्थी निर्दोष है कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी उक्त मुक़दमे में हाजिर होकर अपनी जमानत कराना चाहता है, प्रार्थी को उक्त मुक़दमे में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की कृपा करे। प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया ।

प्रथम सूचना के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02.09.2022 को समय करीब 13:05 बजे, वादी मुकदमा कुलदीप शर्मा अवर अभियंता, प्रवर्तन दल भदोही मय अवर अभियन्ता माधव कुमार द्विवेदी व अन्य के द्वारा विधुत चोरी चेकिंग के दौरान ग्राम / मोहल्ला सरई राजपुतानी ज्ञानपुर के परिसर स्वामी गुलाबधर बिंद पुत्र स्व० परमाल बिन्द के औद्योगिक को चेक किया गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा अपने परिसर फैक्ट्री वाशिंग पाउडर फैक्ट्री में बिना संयोजन के अवैध रूप से 25 KVA के T/F से डायरेक्ट 3 कोर केबिल कटिया के माध्यम से 9333 वाट विधुत चोरी करते पाया गया। सूचना के अनुसार अभियोग पंजीकृत हुआ।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता एवं प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह कि अभियुक्त / प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में आत्म समर्पण कर माननीय न्यायालय मे न्यायिक अभिरक्षा में है। यह कि अभियुक्त/प्रार्थी बेगुनाह है, बसाजिश दुश्मनान नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिये वादी द्वारा प्रार्थी को झूठी घटना के आधार पर गलत ढंग

से फॅसाया गया है। यह कि अभियुक्त / प्रार्थी वैध विद्युत कनेक्शन धारक है प्रार्थी ने कभी कोई कटिया लगाकर विद्युत चोरी नही किया है न ही प्रार्थी कोई वाशिंग पाउडर बनाने मशीन ही चलाता था और न आज ही चलाता है। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के यहाँ कत्तई वांशिंग मशीन का होना नही दिखाया गया है न ही उसका उससे कोई स्म्बन्ध है। सारी कहानी वादी मुकदमा बिल्कुल ही गलत एवं बेबुनियाद है। बसाजिश दुश्मनान वादी मुकदमा ने प्रार्थी के ऊपर नाजायज दबाव डालने व नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से उक्त झूठा मुकदमा कायम कराया है। जिसकी कोई असलियत नही है। यह कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित विद्युत चोरी से सम्बन्धित केबल / तार की कोई बरामदगी नही पाया गया है जिससे पूरी अभियोजन कहानी झूठी साबित हो जाती है। यह कि अभियोजन द्वारा कथित सारी कार्यवाही अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी व गलत ढंग से मात्र नाजाज दबाव डालने व नाजाय लाभ प्राप्त करने की गरज से तथा हम प्रार्थी की सामाजिक छवि धूमिल करने की नियत से वादी द्वारा कायम कराया गया है। जिसकी कोई असलियत नही है। यह कि विवेचक ने वादी मुकदमा के नाजायज दबाव व प्रभाव में आकर माननीय न्यायालय में उपरोक्त आरोप पत्र प्रेषित किया है विवेचक ने मुकदमें में निष्पक्ष विवचेना नही किया है जो बिल्कुल गलत एवं बेबुनियाद है। यह कि अभियुक्त सीधा सादा शान्तिप्रिय व्यक्ति है किसी तरह मेहनत मजदुरी करके अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। यह कि अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप जमानत योग्य है। यह कि अभियुक्त / प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है जमानत होने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा माननीय न्यायालय के आदेश व निर्देशों का पालन करेगा। प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त को उचित जमानत मुचलका पर रिहा करने की आज्ञा प्रदान करे ताकि न्याय हो।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया की प्रार्थी निर्दोष है और कथित कोइ अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के नाम का वैध विधुत संयोजन है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पूर्वांचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड के बिल रसीद की प्रति दाखिल की गई है जिसमे उपभोक्ता का नाम गुलाब बिंद पुत्र स्व परमाल बिंद अंकित है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबधर बिन्द पुत्र स्व. परमाल बिन्द, निवासी सरईराजपुतानी, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त 20,000/– रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त को

आदेशित किया जाता है की वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में नियत तारीख पर उपस्थित रहेगा।

दिनांक 09.03.2026

(डॉ॰ अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:25:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court